अनुक्रमणिका

भाग-1

खंड अ-सामान्य

अ. 1 प्रस्तावना

अ. 2 सांविधानिक आधार

अ. 3 निषेध

अ. 4 सामान्य अनुमति

खंड आ : भारत के बाहर प्रत्यक्ष निवेश

आ. 1 स्वतःअनुमोदित मार्ग

आ. 2 स्वतःअनुमोदित मार्ग के तहत तेल के क्षेत्र में अनिगमित विदेशी कंपनियों में निवेश

आ .3 निधीयन की विधि

आ. 4 निर्यातों और अन्य देयताओं का पूंजीकरण

आ. 5 वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश

आ. 6 विदेश में पंजीकृत कंपनियों के ईक्विटी/ रेटेड ऋण लिखतों में निवेश
(1)(i) सूचीबद्ध भारतीय कंपनियां द्वारा पोर्टफोलियो निवेश
(ii)म्यूचुअल फंडों द्वारा निवेश

आ. 7 रिज़र्व बैंक का अनुमोदन

आ. 8 उर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र में निवेश

आ. 9 स्वामित्ववाले फर्मों द्वारा समुद्रपारीय निवेश

आ. 10 पंजीकृत ट्रस्ट /सोसाईटी द्वारा समुद्रपारीय निवेश

आ. 11 वर्तमान संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में निवेशोत्तर परिवर्तन/ अतिरिक्त निवेश

आ. 12 बोली या निविदा प्रक्रिया के जरिए विदेशी कंपनी का अभिग्रहण

आ. 13 भारतीय पार्टी का दायित्व

आ. 14 संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के शेयरों की बिक्री के रूप में अंतरण

आ. 15 संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के शेयर गिरवी रखना

आ. 16 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की हेजिंग

खंड इ : विदेशी प्रतिभूतियों में अन्य निवेश

इ.1 कुछ मामलों में विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद/ उनके अधिग्रहण की अनुमति

इ. 2 भारत में निवास करनेवाले व्यक्तियों द्वारा विदेशी प्रतिभूति का अंतरण

इ. 3 कुछ मामलों में सामान्य अनुमति

भाग II

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए परिचालनात्मक अनुदेश

1. नामित शाखाएं
2. जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी के विनियम 6 के तहत निवेश
3. सामान्य प्रक्रियागत अनुदेश
4. जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी के विनियम 11 के तहत निवेश
5. अनन्य पहचान संख्या का आबंटन
6. शेयर स्वैप के माध्यम से निवेश
7. जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी के विनियम 9 के तहत निवेश
8. स्टाक ऑप्शन योजना संबद्ध एडीआर/ जीडीआर के तहत विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद
9. बयाना राशि जमा अथवा बोली बांड गारंटी जारी करने के लिए प्रेषण
10. भारत के बाहर संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के शेयरों की बिक्री के माध्यम से अंतरण
11. निवेश के सबूत का सत्यापन

संलग्नक -अ

संलग्नक -आ

प्रेषणों की रिर्पोटिंग

परिशिष्ट

भाग- I	
खंड-अ	**सामान्य**
अ -1	**प्रस्तावना**
	(1) संयुक्त उद्यमों (जेवी) और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं (डब्ल्यूओएस) में समुद्रपारीय निवेशों को भारतीय व्यापारियों द्वारा वैश्विक व्यापार के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में पहचाना गया है। संयुक्त उद्यमों को भारत और अन्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग के माध्यम के रूप में समझा जाता है। ऐसे विदेशी निवेशों से उत्पन्न अन्य उल्लेखनीय लाभों में प्रौद्योगिकी और कुशलता का अंतरण, अनुसंधान और विकास के परिणामों को आपस में बांटना, व्यापक विश्व बाजार तक पहुंच , ब्रांड छवि का संवर्धन ,रोजगारों का सृजन और भारत में तथा मेजबान देश में उपलब्ध कच्चा मालों का उपयोग आदि शामिल है। वे भारत से संयंत्र और मशीनरी और माल के बढ़े हुए निर्यात के माध्यम से विदेशी व्यापार के महत्वपूर्ण संचालक भी हैं तथा ऐसे निवेशों पर लाभांश अर्जन, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी फी और अन्य हकदारी के रूप में विदेशी मुद्रा अर्जन के स्रोत भी हैं।
	(2) उदारीकरण के जोश के साथ सामंजस्य रखते हुए , जो सामान्य रूप से आर्थिक नीति और विशेष रूप से विदेशी मुद्रा नियंत्रण का प्रतीक बना है, रिज़र्व बैंक द्वारा दोनों, चालू खाता साथ ही साथ पूंजी खाता लेनदेनों के लिए उसके नियमों में उत्तरोत्तर रियायतें दी गई हैं और क्रियाविधि को सरल बनाया गया है।
अ.2	**सांविधिक आधार**
(1)	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम की धारा 6 केंद्र सरकार के साथ परामर्श से रिज़र्व बैंक को पूँजी खाता लेनदेनों के स्वीकार्य वर्गों और लेनदेन की सीमा और ऐसे लेनदेनों के लिए किस सीमा तक विदेशी मुद्रा स्वीकार्य होनी चाहिए उसके बारे में विनिर्देश करने की शक्ति प्रदान करती है। उक्त अधिनियम की धारा 6(3) रिज़र्व बैंक को उस उप धारा के उप-खण्डों में उल्लिखित विभिन्न लेनदेनों को निषिद्ध, प्रतिबंधित, या नियंत्रित करने के लिए विनियम बनाने के लिए शक्तियाँ प्रदान करती है।विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम की धारा 6 रिज़र्व बैंक को केंद्र सरकार के साथ परामर्श से पूंजी खाता लेनदेनों के अनुमत वर्गों और लेनदेन की सीमा जहां तक विदेशी मुद्रा अनुमत है, को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करती है। उक्त अधिनियम की धारा 6(3) रिजर्व बैंक को उस उप धारा के उप-खण्डों में उल्लिखित विभिन्न लेनदेनों को निषिद्ध, प्रतिबंधित, या नियंत्रित करने के लिए विनियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है।

(2)	उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने 3 मई 2000 की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. फेमा.19/आरबी-2000 के अधिक्रमण और उसके संशोधन में विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 की 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/आरबी-2004 (मार्च 31, 2005 की अधिसूचना सं. फेमा.132/2005 आरबी,17 मई 2005 की अधिसूचना सं. फेमा 135/2005-आरबी और 11 अगस्त ,2005 की अधिसूचना सं. फेमा 139/2005-आरबी , 21 अगस्त ,2006 की अधिसूचना सं. फेमा 150/2006-आरबी ,9 अक्तूबर 2006 की अधिसूचना सं. फेमा 164/2006-आरबी, 19 दिसंबर 2007 की अधिसूचना सं. फेमा 173/2007-आरबी और 01 अक्तूबर 2008 की अधिसूचना सं. फेमा 180/2008-आरबी,, द्वारा यथासंशोधित, (इसके पश्चात् 'अधिसूचना' अभिहित) द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का हस्तांतरण अथवा निर्गम) विनियमावली जारी की है। अधिसूचना भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी प्रतिभूति के हस्तांतरण और अभिग्रहण, अर्थात् विदेशी संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनियों में भारतीय कंपनियों द्वारा निवेश, साथ ही साथ भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर जारी शेयरों और प्रतिभूतियों में निवेश को नियंत्रित करती है।समुद्रपारीय निवेश दो मार्गों अथात् (i) पैराग्राफ आ-1 में यथा उल्लिखित स्वत: अनुमोदित मार्ग (ii) पैराग्राफ आ-7 में यथा उल्लिखित अनुमोदित मार्ग के जरिये किये जा सकते हैं।	
अ.3	**निषेध**	
	भारतीय पार्टियों को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर स्थावर संपदा कारोबार (अधिसूचना के विनियम 2 (त)) में यथापरिभाषित) अथवा बैंकिंग कारोबार में लगे हुए किसी विदेशी कंपनी में निवेश करने पर निषेध है।	
अ.4	**सामान्य अनुमति** अधिसूचना के विनियम 4 के अनुसार निवासियों को निम्नप्रकार से प्रतिभूतियों की खरीद/ अधिग्रहण के लिए सामान्य अनुमति प्रदान की गई है-	
	(क)	निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाते में धारित निधियों में से;
	(ख)	विदेशी करेंसी शेयरों की वर्तमान धारिता पर बोनस शेयरों के रूप में; और
	(ग)	जब भारत में स्थायी रूप से निवासी नहीं है तो भारत के बाहर उनके विदेशी करेंसी स्रोतों में से।
	इस प्रकार खरीदे/अभिगृहीत शेयरों को बेचने की भी सामान्य अनुमति है ।	

खंड आ	**: भारत के बाहर प्रत्यक्ष निवेश**
आ.1 : स्वत: अनुमोदित मार्ग	

(1)	अधिसूचना के विनियम 6 के अनुसार एक भारतीय पार्टी को विदेशी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय पार्टी के अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख में निवल मालियत का 400 प्रतिशत से अनधिक के निवेश करने की अनुमति है।	
(2)	निवल मालियत का 400 प्रतिशत की सीमा भारतीय पार्टी के विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में रखी गई शेष राशि अथवा एडीआर/ जीडीआर के माध्यम से जुटाई गई निधियों से किए गए निवेश पर लागू नहीं होगी।भारतीय पार्टी ऐसे निवेशों के संबंध में प्रेषण हेतु ओडीआइ फार्म में आवेदन (अनुबंध-अ)और निर्धारित संलग्नों / दस्तावेजों के साथ प्राधिकृत व्यापारियों से संपर्क करें।	
(3)	ऐसे विदेशी निवेश में समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं का पूजी में अंशदान ,संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं को स्वीकृत ऋण और संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं को या उसकी ओर से जारी गारंटियों के 100 प्रतिशत तक शामिल है। ऐसे निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं-	
क)	भारतीय कंपनी केवल उसी समुद्रपारीय कंपनी को ऋण/गारंटी दे सकती है जिसमें उसकी ईक्विटी सहभागिता है। भारतीय कंपनी किसी भी प्रकार की गारंटी-कारपोरेट या वैयक्तिक/ प्राथमिक या प्रवर्तक कंपनी द्वारा संपार्शिक/ गारंटी अथवा भारत स्थित समूह कंपनी, सहयोगी संस्था, सहयोगी कंपनी द्वारा गारंटी दे सकती है बशर्ते	
	i)	सभी वित्तीय प्रतिबद्धताएं सभी प्रकार की गारंटियों सहित भारतीय पार्टी द्वारा विदेश निवेश के लिए निर्धारित समग्र सीमा अर्थात् वर्तमान में भारतीय पार्टी की निवल मालियत के *400* प्रतिशत के अंदर हैं।
	ii)	कोई भी गारंटी "असीमित" न हो अर्थात् गारंटी की राशि स्पेसीफाइड अपफ्रंट होनी चाहिए, और
	iii)	कंपनी गारंटी के मामले में, सभी गारंटियों की सूचना ओडीआइ फार्म भाग II में भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जाए। भारत से बाहर की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं/ संयुक्त उद्यमों के पक्ष में भारत स्थित बैंकों द्वारा जारी गारंटियां इस सीमा से बाहर होंगी और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (डीबीओडी) द्वारा जारी विवेकसम्मत मानदंडों के अधीन होंगी।
	टिप्पणी:अनिवासी कंपनी के पक्ष में अचल संपत्ति पर प्रभार सृजित करने और भारतीय मूल / समूह कंपनियों के शेयरों को गिरवी रखने के लिए रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता होगी।	
ख)	भारतीय पार्टी रिज़र्व बैंक के निर्यातक सतर्कता सूची, रिज़र्व बैंक/ सीआइबीआइएल / अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य क्रेडिट इंफोर्मेशन कंपनी द्वारा परिचालित बैंकिंग के चूककर्ता की सूची में न हो अथवा किसी जांच/ प्रवर्तन एजेंसी अथवा विनियामक निकाय द्वारा जांच के अधीन न हो।	
ग)	संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं से संबंधित सभी लेनदेन भारतीय पार्टी द्वारा नामित की जानेवाली किसी प्राधिकृत व्यापारी की एक शाखा के माध्यम से किए	

	जाएं।	
घ)	वर्तमान विदेशी कंपनी के आंशिक/ पूर्ण अधिग्रहण के मामले में, जहां निवेश 5 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है, शेयरों का मूल्यांकन सेबी के पास पंजीकृत किसी श्रेणी I वाणिज्यिक बैंकर अथवा मेजबान देश में उचित विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत भारत से बाहर के निवेश बैंकर/ वाणिज्यिक बैंकर और अन्य सभी मामलों में सनदी लेखाकार अथवा प्रमाणित लोक लेखाकार द्वारा किया जाता है।	
ड.)	शेयरों के स्वैप के रूप में निवेश के मामलों में, राशि पर ध्यान दिए बगैर सभी मामलों में, शेयरों का मूल्यांकन सेबी के पास पंजीकृत किसी श्रेणी I वाणिज्यिक बैंकर अथवा मेजबान देश में उचित विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत भारत से बाहर निवेश बैंकर द्वारा करना पड़ेगा। शयरों के स्वैप द्वारा निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से अनुमोदन भी एक पूर्व शर्त होगी।	
(च)	पंजीकृत साझेदारी फर्म द्वारा विदेश स्थित विदेशी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनी में निवेश में मामले में, जहां ऐसे निवेश के लिए संपूर्ण निधीयन फर्म द्वारा किया जाता है, तो अलग-अलग साझीदारों के लिए यह सही होगा कि वे विदेशी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में फर्म के लिए और फर्म की ओर से शेयर धारण करे ,यदि मेजबान देश के विनियम अथवा परिचालनात्मक अपेक्षाएं ऐसी शेयर धारिता का अधिकार देती है।	
छ)	(i) स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत विशेष प्रयोजन माध्यम (एसवी पी) के माध्यम से भारतीय पार्टी द्वारा संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनी में निवेश की भी अनुमति है बशर्ते भारतीय पार्टी रिज़र्व बैंक के निर्यातक सतर्कता सूची अथवा प्रवर्तन निदेशालय । द्वारा जांच के अधीन न हो अथवा रिज़र्व बैंक /रिज़र्व बैंक द्वारा यथानुमोदित किसी अन्य क्रेडिट इंफोर्मेशन कंपनी द्वारा परिचालित बैंकिंग प्रणाली के चूककर्ता की सूची में न हो । चूककर्ता की सूची में नाम वाले भारतीय पार्टियों को निवेश के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी।	
	(ii)यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत एसवीपी की स्थापना को केवल विदेश स्थित संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनी में निवेश के प्रयोजन के लिए अनुमति दी जाती है।	
(ज)	एक भारतीय कंपनी को, वास्तविक कारोबार के कार्यकलापों में लगी हुई विदेशी कंपनी को, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयरों (डिपॉजिटरी रिसीट मेकानिज़्म के माध्यम से) योजना, 1993 और उसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुसार जारी एडीआर/ जीडीआर के बदले शेयर अधिग्रहण करने की अनुमति है,बशर्ते:	
	(i)	एडीआर/ जीडीआर भारत से बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है;
	(ii)	अधिग्रहण के प्रयोजन से एडीआर और/ अथवा जीडीआर निर्गम भारतीय पार्टी द्वारा जारी आधार नवीन ईक्विटी शेयरों द्वारा समर्थित हैं;

	(iii)	भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा भारतीय कंपनी में कुल धारिता नए एडीआर और/अथवा जीडीआर निर्गम के बाद विस्तारित पूंजी आधार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तहत ऐसे निवेश के लिए संबंधित विनियमों के अंतर्गत निर्धारित क्षेत्रीय सीमा से अधिक न हो;
	(iv)	विदेशी कंपनी के शेयरों का मूल्य निर्धार इस प्रकार किया जायेगा ;
	(क)	यदि शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबध्द नहीं हैं , बैंकर के निवेश की सिफारिशों के अनुसार अथवा
	(ख)	पिछले तीन क्रमिक महीनों में जब कि विदेश में किसी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर अर्जित किए गये हों विदेशी कंपनी के प्रचलित मार्केट पूँजीकरण और इसके अतिरिक्त अन्य मामलों में प्रीमियम , यदि कोई हो , जिसकी बैंकर द्वारा अपनी डिलीजेंस रिपोर्ट में सिफारिश की गयी हो पर आधारित ।
(4)	भारतीय पार्टी लेनदेन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए जाने के लिए प्राधिकृत बैंक को फार्म ओडीआइ में ऐसे अधिग्रहण की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।	
टिप्पणी : नेपाल में सिर्फ भारतीय रुपए में निवेश की अनुमति है। भूटान में भारतीय रुपए और मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में निवेश की अनुमति है। मुक्त परिवर्तनीय मुद्राओं में किए गए निवेशों के संबंध में प्राप्य सभी राशियां और उनकी बिक्री/ समापन प्राप्यों को केवल मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में भारत प्रत्यावर्तित किया जाना है। **पाकिस्तान में निवेश के लिए स्वत: अनुमोदित मार्ग की सुविधा उपलब्ध नहीं है।**		
आ. 2	**स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत तेल क्षेत्र में अनिगमित विदेशी कंपनियों में निवेश**	
(1)	प्राधिकारी व्यापारी बैंक बगैर किसी सीमा के नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों,ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा तेल क्षेत्र में अनिगमित विदेशी कंपनियों में निवेश (अर्थात् तेल और प्राकृतिक गैस, आदि की खोज और खुदाई के लिए) को अनुमति दे बशर्ते ऐसे निवेशों को सक्षम अधिकारी अनुमोदित करता है।	
(2)	स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत अन्य भारतीय कंपनियों को भी उनके निवल मालियत के 400 प्रतिशत तक तेल क्षेत्र में अनिगमित विदेशी कंपनियों में निवेश की अनुमति दी जाती है बशर्ते प्रस्ताव को सक्षम अधिकारी अनुमोदित करता है और इसके साथ ऐसे निवेश के समर्थन में बोर्ड के संकल्प की प्रमाणित प्रति हो। भारतीय कंपनी के निवल मालियत के 400 प्रतिशत से अधिक के निवेश को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी।	
आ.3	**निधीयन की विधि**	
	i)	भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी से विदेशी मुद्रा का आहरण;
	ii)	निर्यात का पूंजीकरण;

	iii)	शेयरों की अदला बदली (उपर्युक्त पैरा आ.1(घ) में उल्लिखित के अनुसार मूल्यांकन);
	iv)	बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की आय का उपयोग;
	v)	विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयर (डिपॉजिटरी रिसीट मैकेनिज़म के माध्यम से) योजना, 1993 के निर्गम की योजना और उसके अधीन केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जारी एडीआर/ जीडीआर के बदले में ;
	vi)	भारतीय पार्टी के विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता में रखी शेष राशि; और
	vii)	एडीआर/जीडीआर निर्गमों के माध्यम से जुटाई गई विदेशी मुद्रा निधियों की आय का उपयोग ।
	उपर्युक्त (vi) और (vii) के संबंध में, निवल मालियत के 400 प्रतिशत की उच्चतम सीमा लागू नहीं होगी। तथापि वित्तीय क्षेत्र में निवेशों के संबंध में, निधीयन की प्रणाली पर ध्यान दिए बगैर वही अधिनियम के विनियम 7 के अनुपालन की शर्त लागू होगी।	
(2)	प्रतिभूतियों की खरीद/ अधिग्रहण के लिए निवासियों को निम्नलिखित प्रकार से सामान्य अनुमति दी गई है;	
	(i)	आर ऐफसी खाते में रखी गई निधियों में से;
	(ii)	विदेशी मुद्रा शेयरों की वर्तमान धारिता पर बोनस शेयरों के रूप में; और
	(iii)	जब भारत में स्थायी निवासी नहीं है तो ,भारत के बाहर उनके विदेशी मुद्रा स्रोतों में से (उपर्युक्त पैरा अ.4)।
आ.4	**निर्यात और अन्य देयताओं का पूंजीकरण**	
1)	भारतीय पार्टियों को लागू सीमा के अंदर विदेशी कंपनियों को किए गए निर्यात से प्राप्त होनेवाले भुगतानों, तकनीकी जानकारी, परामर्श, प्रबंधकीय और अन्य सेवाएं देने के लिए विदेशी कंपनी से प्राप्य शुल्क, रॉयल्टी या अन्य कोई देय के पूंजीकरण की भी अनुमति है। निर्यात की तारीख से छह माह की अवधि के परे निर्यात मूल्य की वसूली बकाया हो तो उसके पूँजीकरण से पहले रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।	
2)	भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यातकों को, संयुक्त उद्यम के साथ करार के बिना, रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से विदेशी सॉफ्टवेयर कंपनी को किए गए अपने निर्यातों के मूल्य का 25% शेयरों के रूप में प्राप्त करने की अनुमति है।	
आ.5	**वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश**	
(1)	अधिसूचना के विनियम 7 के अनुसार वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत किसी कंपनी में निवेश करने की अनुमति मांगने वाली भारतीय पार्टी को निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों का पालन करना होगा;	
	(i)	वित्तीय क्षेत्र के कार्यकलाप चलाने के लिए भारत में उपयुक्त विनियामक

		प्राधिकरण के पास पंजीकृत हो;
	(ii)	वित्तीय सेवा कार्यकलाप के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निवल लाभ कमाया है;
	(iii)	भारत और विदेश स्थित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से विदेश में ऐसे वित्तीय क्षेत्र कार्यकलाप में निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है; और
	(iv)	भारत स्थित संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकशील मानदंडों को पूरा किया है।
(2)	संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनियों अथवा वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश करनेवाले संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनियों के स्टेप डाउन सहयोगी कंपनी को भी किसी अतिरिक्त निवेश के लिए उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।	
(3)	भारत में वित्तीय क्षेत्र में अविनियमित कंपनियां अधिसूचना के विनियम 6 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन गैर वित्तीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में निवेश कर सकती हैं। समुद्रीपार पण्य मंडियों में व्यापार करना और समुद्रपारीय मंडियों में व्यापार के लिए संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं की स्थापना करना वित्तीय सेवा कार्यकलाप के रूप में गिना जाएगा और उसे वायदा बाज़ार आयोग से मंजूरी लेने की जरूरत है।	
आ.6	**विदेश में पंजीकृत कंपनियों के ईक्विटी / रेटेड ऋण लिखतों में निवेश**	

(1)(i) सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश

सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को तुलन पत्र के नवीनतम लेखा परीक्षण की तारीख को उनके निवल मालियत के **50** प्रतिशत तक सूचीबद्ध विदेश कंपनियों द्वारा जारी, प्रामाणिक /पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निवेश ग्रेड से ऊपर रेटेड (i)शेयरों और (ii)बांडों/ नियत आय की सूचीबद्ध समुद्रपारीय कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति हैं।

(ii) म्युचुअल फंडों द्वारा निवेश

सेबी के पास पंजीकृत भारतीय म्युचुअल फंडों को 7 बिलियन अमरीकी डालर की समग्र सीमा के अंदर निम्नलिखित में निवेश करने की अनुमति है:

i)	भारतीय और विदेशी कंपनियों के एडीआर/जीडीआर
ii)	विदेश स्थित मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध समुद्रपारीय कंपनियों के ईक्विटी
iii)	विदेश स्थित मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध के लिए पब्लिक आफर पर प्रारंभिक और विराम के बाद होने वाले
iv)	पूर्ण परिवर्तनीय मुद्राओंवाले देश में विदेशी ऋण प्रतिभूतियों और प्रामाणिक /पंजीकृत क्रेडिट एजेंसियो द्वारा निवेश ग्रड से उपर रेटिंग वाले अल्पावधि और दीर्घावधि लिखतें
v)	निवेश ग्रेड से उपर रेटेड मुद्रा बाजार लिखतें
vi)	निवेश के रूप में रिपो, जहां प्रतिपक्षी को निवेश ग्रेड के नीचे नहीं आंका जाता है । फिर भी , रिपो को म्युचुअल फंडों द्वारा निधियों के किसी उधार में शामिल नहीं होना चाहिए।
vii)	सरकारी प्रतिभूतियां,जहां देशों को निवेश ग्रेड के नीचे नहीं आंका जाता है ।
viii)	प्रतिभूतियों के रूप में अंतर्नीहित के साथ केवल हेजिंग और पोर्टफोलियो समतोलन के

	लिए विदेश स्थित मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में व्युत्पन्न व्यापार	
ix)	विदेश स्थित बैंकों के साथ अल्पावधि सावधि जमा, जहां जारीकर्ता को जहां प्रतिपक्षी को निवेश ग्रेड के नीचे नहीं आंका जाता है	
x)	विदेशी म्युचुअल फंडों अथवा विदेशी नियामकों में. पंजीकृत यूनिट ट्रस्ट जो (क) उपर्युक्त प्रतिभूतियों (ख) मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध रियल इस्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्ट अथवा (ग) असूचीबद्ध विदेशी प्रतिभूतियां (अपनी निवल परिसंपत्तियों के अधिकतम 10 प्रतिशत) में निवेश करते हैं।	
(2)	अर्हता प्राप्त भारतीय म्युचुअल फंडों की एक सीमित संख्या को सेबी द्वारा यथानुमत समुद्रपारीय एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों में 1 बिलियन अमरीकी डालर तक संचयी रूप से निवेश की अनुमति दी जाती है।	
(3)	सेबी के पास पंजीकृत देशी जोखिम पूंजी निधियां 500 मिलियन अमरीकी डालर की समग्र सीमा के अधीन अपतटीय जोखिम पूंजी उपक्रमों के इक्विटी और इक्वित्टी संबद्ध लिखतों में निवेश कर सकती हैं।तदनुसार, इस सुविधा के इच्छुक म्युचुअल फंड/जोखिम पूंजी निधियां आवश्यक अनुमति के लिए सेबी से संपर्क करे।	
(4)	इस प्रकार अधिगृहीत प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए निवेशकों की उपर्युक्त श्रेणी को सामान्य अनुमति प्राप्त है।	
आ-7	**रिज़र्व बैंक का अनुमोदन**	
(1)	विदेश में प्रत्यक्ष निवेश के अन्य सभी मामले में, रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा। इस प्रयोजनार्थ आवेदन,आवश्यक दस्तावेजों के साथ ओडीआइ फार्म में और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएं।	
(2)	ऐसे आवेदनों पर विचार करते समय रिज़र्व बैंक अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा :-	
	क)	भारत के बाहर संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं की, प्रथम दृष्टि मे, अर्थसक्षमता;
	ख)	विदेशी व्यापार और अन्य लाभ में योगदान जो ऐसे निवेश से भारत को प्राप्त होगा;
	ग)	भारतीय पार्टी और विदेशी कंपनी की वित्तीय स्थिति और पिछला कारोबार निष्पादन रिकार्ड;
	घ)	भारत के बाहर संयुक्त उद्यम या पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के उसी कार्यकलाप या उससे संबंधित कार्यकलापों में भारतीय पार्टी की विशेषज्ञता और अनुभव।

आ.8	**उर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र में निवेश**
	रिज़र्व बैंक उर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र (अर्थात् तेल , गैस ,कोयला और खनिज अयस्क) में विदेश स्थित संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय कंपनियों के पिछले लेखा -परीक्षित तुलनपत्र की तारीख को उनके निवल मालियत के 400 प्रतिशत से अधिक के निवेश के आवेदन पर विचार करेगा। तदनुसार ,प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अपने ग्राहकों से प्राप्त ऐसे आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रज़िर्व बैंक को भेजें।
आ.9	**स्वामित्ववाली कंपनियों द्वारा समुद्रपारीय निवेश**
(1)	प्रमाणित पिछले कार्यनिष्पादनवाले और वैश्वीकरण और उदारीकरण के लाभों का लाभ उठाने के लिए सतत रूप से उच्च निर्यातवाले मान्यता प्राप्त तारांकित निर्यातकों को समर्थ बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि पात्रता मानदंडों को पूरा करनेवाले स्वत्वधारी और अपंजीकृत साझेदारी फर्मों को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से भारत से बाहर संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था स्थापित करने की अनुमति दी जाए। फार्म ओडीआइ में आवेदन प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, अमर भवन, तीसरी मंजिल, मुंबई को किया जाए। प्राधिकृत व्यापारी बैंक ऐसे निवेश प्रस्तावों को अपनी टिप्पणियों/ सिफारिशों के साथ विचारार्थ रिज़र्व बैंक को भेजें।
(2)	स्थापित स्वत्वधारी और अपंजीकृत साझेदारी निर्यातक फर्मों द्वारा निवेश निम्नलिखित मानदण्डों के अधीन होगा :
i)	साझेदारी/ स्वत्वधारी फर्म विदेशी निवेश के महानिदेशक द्वारा मान्यताप्राप्त स्टार निर्यात हाउस है।
ii)	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक संतुष्ट है कि निर्यातक अपने ग्राहक को जानिए का अनुपालक है, प्रस्तावित कारोबार में कार्यरत है और उपर्युक्त (i) में दर्शाए गए अपेक्षाओं को पूरा करता है।
iii)	निर्यातक का अच्छा कार्य निष्पादन रिकार्ड है अर्थात् निर्यात बकाया पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निर्यात प्राप्तियों के 10 प्रतिशत से अनधिक है।
iv)	निर्यातक किसी प्रवर्तन निदेशालय/ केन्द्रीय जांच ब्यूरो जैसे सरकारी एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं है और रिज़र्व बैंक के निर्यातकों की सतर्कता सूची अथवा भारतीय बैंकिंग प्रणाली के चूककर्ता सूची में नहीं है।
v)	भारत के बाहर निवेश की राशि तीन वित्तीय वर्षों के निर्यात प्राप्ति के 10 प्रतिशत से अधिक न हो अथवा फर्म के निवल मालियत के 200 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक न हो ।
आ.10	**पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटी द्वारा समुद्रपारीय निवेश**
	विनिर्माण /शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत ट्रस्ट और सोसाइटियों को रिज़र्व बैंक के

	पूर्वानुमोदन से भारत के बाहर संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में उसी क्षेत्रों में निवेश की अनुमति दी जाती है।नीचे दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करनेवाले ट्रस्ट और सोसाइटी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के माध्यम से फार्म ओडीआइ में आवेदन मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, अमर भवन, 5वीं मंजिल, फोर्ट ,मुंबई 400001 को विचारार्थ प्रस्तुत करे।	
	पात्रता मानदंड :	
	(क)	**ट्रस्ट**
	i)	भारतीय न्यास अधिनियम,1882 के तहत ट्रस्ट पंजीकृत होना चाहिए;
	ii)	ट्रस्ट विलेख विदेश में प्रस्तावित निवेश की अनुमति देता है;
	iii)	प्रस्तावित निवेश ट्रस्टी/ ट्रस्टियों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए;
	iv)	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक संतुष्ट है कि ट्रस्ट अपने ग्राहकों को जानिए (केवाइसी) का अनुपालक है और जायज कार्यकलाप करता है;
	v)	ट्रस्ट कम से कम पिछले तीन वर्ष से अस्तित्व में है;
	vi)	ट्रस्ट किसी विनियामक /प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जैसी एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस में नहीं है ।
	(ख)	**सोसाइटी**
	i)	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 के तहत ट्रस्ट पंजीकृत होना चाहिए;
	ii)	सोसाइटी के बर्हिनियम और नियम और विनियम सोसाइटी को प्रस्तावित निवेश की अनुमति देते हैं जो शासी निकाय /परिषद अथवा प्रबंधन / कार्यकारिणी समिति द्वारा भी अनुमोदित होने चाहिए;
	iii)	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक संतुष्ट है कि सोसाइटी अपने ग्राहकों को जानिए (केवाइसी) का अनुपालक है और जायज कार्यकलाप करता है;
	iv)	सोसाइटी कम से कम पिछले तीन वर्ष से अस्तित्व में है;
	iv)	सोसाइटी किसी विनियामक /प्रवर्तन निदेशालय सीबीआई जैसी एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस में नहीं है ।
	पंजीकरण के अलावा, क्रियाकलाप , जिसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय अथवा संबंधित स्थानीय प्राधिकरण से विशेष लाइसेंस / अनुमति की , जैसी भी स्थिति हो, आवश्यकतानुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यह सुनिश्चित करे कि आवेदक ने ऐसा विशेष लाइसेंस प्राप्त किया है।	
आ.11	**वर्तमान संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में निवेशोत्तर परिवर्तन/अतिरिक्त निवेश**	
	विनियमों के अनुसार भारतीय पार्टी द्वारा स्थापित संयुक्त उद्यमों/ पूर्ण स्वामित्ववाली	

	सहायक संस्थाएं अपने कार्यकलापों में विविधता ला सकती हैं/ स्टेप डाऊन सहायक कंपनियों की स्थापना कर सकती हैं/ समुद्रपारीय कंपनी में शेयर धारिता के स्वरूप को बदल सकती हैं (वित्तीय सेवा क्षेत्र की कंपनियों के मामले में, विनियम 7 के अनुपालन के अधीन)। भारतीय पार्टी संयुक्त उद्यमों/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं द्वारा लिए गए ऐसे निर्णयों के ब्योरे, मेजबान देश के स्थानीय कानून के अनुसार ऐसे संयुक्त उद्यमों/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के संबंधित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लिए गए ऐसे निर्णयों के अनुमोदन के 30 दिनों के अंदर रिज़र्व बैंक को दें और उसे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को प्रस्तुत किए जानेवाले वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट -ओडीआइ भाग III) में शामिल करें।	
आ.12	**बोली या निविदा प्रक्रिया के जरिए विदेशी कंपनी का अभिग्रहण**	
	भारतीय पार्टी अधिसूचना के विनियम 14 के प्रावधानों के अनुसार बोली या टेंडर प्रक्रिया के जरिए विदेशी कंपनी के अभिग्रहण के लिए बयाना रकम का प्रेषण अथवा बोली बांड गारंटी जारी कर सकता है, बाद के प्रेषण प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के जरिए कर सकती है।	
आ. 13	**भारतीय पार्टी का दायित्व**	
(1)	विदेश में प्रत्यक्ष निवेश करने वाली भारतीय पार्टी का दायित्व (क) निवेश के साक्ष्य के रूप में शेयर प्रमाणपत्र अथवा कोई अन्य दस्तावेज प्राप्त करना, (ख) विदेशी कंपनी से प्राप्य रकम भारत में प्रत्यावर्तित करना, (ग) अधिसूचना के विनियम 15 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार दस्तावेज/वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना है।	
(2)	वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट की प्रस्तुति सहित रिपोर्टिंग की आवश्यकताएं तेल क्षेत्र में अनिगमित कंपनियों में निवेशकों पर भी लागू है।	
आ. 14.	**संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनी के शेयरों की बिक्री के रूप में अंतरण**	
(1)	भारतीय पार्टियां निम्नलिखित श्रेणियों में रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर विनिवेश भी कर सकती हैं :	
	i)	जहां संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी समुद्रपारीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं।
	ii)	जहां भारतीय प्रवर्तक कंपनी भारत स्थित किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और जिसकी निवल मालियत 100 करोड़ रुपए से कम नहीं है।
	iii)	जहां भारतीय प्रवर्तक गैर-सूचीबद्ध कंपनी है और विदेशी उद्यम में निवेश 10 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं है।
(2)	**विनिवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :**	
	i)	बिक्री का परिणाम किये गये निवेश में कोई बट्टा नही है ।
	ii)	बिक्री स्टॉक एक्सचेंज , जहां समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली

		सहायक कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं,के माध्यम से की गई है;
	iii)	यदि शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं हैं,और शेयरों का विनिवेश निजी व्यवस्था द्वारा किया जाता है, शेयरों का मूल्य संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर उचित मूल्य के रूप में सनदी लेखाकार/प्रमाणित लोक लेखाकार द्वारा प्रमाणित मूल्य से कम है;
	iv)	समुद्रपारीय प्रतिष्ठान पिछले पूरे एक वर्ष से कार्यरत है और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखे के साथ वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण के जांच के दायरे में नहीं है।
	v)	भारतीय पार्टी के विरुध्द भातर में केंद्रीय जांच ब्यूरो/प्रवर्तन निदेशालय/सेबी/आइआरडीए अथवा किसी अन्य विनियामक द्वारा कोई जाँच नही की जा रही है ।
	भारतीय पार्टी को निवेश की तारीख से 30 दिनों के अंदर अपने नामित प्राधिकारी व्यापारी श्रेणी I बैंक के माध्यम से विनिवेश के ब्योरे प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित शर्तों को पूरा न करनेवाली भारतीय पार्टी को रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के लिए आवेदन करना होगा।	
आ. 15	**संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनी के शेयरों को गिरवी रखना**	
	कोई भी भारतीय पार्टी विदेश में अपने अथवा विदेश स्थित संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के लिए ऋण सुविधा लेने हेतु भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अथवा वित्तीय संस्था के पास संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के शेयरों को **अधिसूचना के विनियम 18** के अनुसार गिरवी रख सकती है। भारतीय पार्टियां समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में धारित शेयरों को गिरवी के रूप में किसी समुद्रपारीय उधारदाता को अंतरित कर सकती है बशर्ते उधारदाता का एक बैंक के रूप में विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाता है और भारतीय पार्टियों की कुल वित्तीय प्रतिबद्धताएं समुद्रपारीय निवेशों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमाओं के अंदर रहती हैं।	
आ. 16.	**विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों की हेज़िंग**	
	(1)	विदेशी प्रत्यक्ष निवेशवाले निवासी कंपनियों को ऐसे निवेशों से उत्पन्न होनेवाले एक्सचेंज रिस्क के हेजिंग की अनुमति है। प्राधिकृत व्यापारी बैंक ऐसे जोखिम के सत्यापन की शर्त पर अपने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ईक्विटी और ऋण) के हेजिंग के इच्छुक निवासी कंपनियों के साथ वायदा/ ऐच्छिक करार कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ऐसे वायदा संविदाओं को रद्द करने की अनुमति दे सकते हैं और इस प्रकार रद्द किए गए संविदाओं के **50 प्रतिशत** के पुनः बुकिंग की अनुमति दी जाए।
	(2)	यदि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बाज़ार मूल्य में गिरावट के कारण हेजिंग आंशिक

		अथवा पूर्ण रूप से असुरक्षित हो जाता है तो हेजिंग मूल परिपक्वता तक कायम रह सकता है। नियत तारीख को रोलओवर उस तारीख को बाज़ार मूल्य की सीमा तक अनुमत है।

खंड इ -	**विदेशी प्रतिभूतियों में अन्य निवेश**	
इ. 1	**कुछ मामलों में विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद/उनके अभिग्रहण के अनुमति**	
	भारत में निवास करने वाले किसी भी एकल व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए सामान्य अनुमति प्रदान की गई है :-	
	क)	भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति से उपहार स्वरूप विदेशी प्रतिभूति का अधिग्रहण;
	ख)	भारत से बाहर किसी कंपनी द्वारा जारी नकद रहित कर्मचारी शेयर विकल्प योजना के तहत जारी शेयर का अभिग्रहण बशर्ते इसमें भारत से किसी प्रकार का प्रेषण शामिल न हो; अथवा
	ग)	भारत में अथवा भारत के बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति से विरासत में शेयरों का अधिग्रहण;
	घ)	कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना के तहत किसी विदेशी कंपनी द्वारा प्रस्तावित ईक्विटी शेयर की खरीद, यदि वह किसी विदेशी कंपनी के भारतीय कार्यालय अथवा शाखा अथवा विदेशी कंपनी की भारत स्थित सहायक कंपनी अथवा किसी भारतीय कंपनी का कर्मचारी अथवा निदेशक है जिसमें प्रत्यक्ष अथवा

		विशेष प्रयोजन माध्यम से विदेशी ईक्विटी धारिता 51% से कम नहीं है। प्राधिकृत व्यापारी योजना के परिचालनगत पद्धति पर ध्यान दिए बगैर इस प्रावधान के तहत पात्र व्यक्तियों द्वारा शेयरों की खरीद के लिए प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं अर्थात् जहां योजना के तहत शेयर, जारीकर्ता कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा ट्रस्ट/ किसी विशेष प्रयोजन माध्यम/ स्टेप डाउन सहायक कंपनी के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावित किए जाते हैं बशर्ते
	(i)	शेयरों की जारीकर्ता कंपनी की प्रभावपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय कंपनी में, जिसके कर्मचारी/ निदेशकों को शेयरों का प्रस्ताव दिया जा रहा है इसकी ईक्विटी में धारिता 51% से कम न हो ;
	(ii)	कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना के तहत एकरूप आधार पर वैश्विक रूप से जारीकर्ता कंपनी द्वारा शेयर का प्रस्ताव दिया जा रहा है और
	(iii)	प्रेषणों/ लाभार्थियों/ आदि का ब्योरा देते हुए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के माध्यम से रिज़र्व बैंक को भारतीय कंपनी द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट(अनुबंध-आ, प्रस्तुत की जाती है।
		भारत में निवासी व्यक्ति उपर्युक्त के अनुसार अधिगृहीत शेयरों को बिक्री द्वारा अंतरित कर सकता है बार्ते उससे प्राप्त राशि को प्राप्ति के तुरंत बाद और किसी भी स्थिति में ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री तारीख से 90 दिनों के अंदर ही प्रत्यावर्तित किया जाता है।
	ङ)	विदेशी कंपनियों को किसी कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना के तहत भारत में निवासियों को जारी शेयरों की पुनर्खरीद की नुमति है बशर्ते (i) ये शेयर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत बने नियमों/ विनियमों के अनुसार जारी किए गए हैं (ii) ये शेयर प्रारंभिक प्रस्ताव दस्तावेजों के अनुसार पुनः खरीदे जा रहे हैं और (iii) प्रेषणों/ लाभार्थियों, आदि के ब्योरे देते हुए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के माध्यम से एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की जाती है।
	च)	अन्य सभी मामलों में जो सामान्य या विशेष अनुमति के दायरे में नहीं आते हैं, विदेशी प्रतिभूति प्राप्त करने के पहले रिज़र्व बैंक की अनुमति आवश्यक है।
इ. 2	**भारत में निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति को गिरवी रखना**	
	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों के अनुसार भारत में निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा अधिगृहीत/शेयरों को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1/ सार्वजनिक वित्तीय संस्था से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भारत में गिरवी रखने की अनुमति है।	
इ 3	**कुछ मामलों में सामान्य अनुमति**	
	निवासियों को विदेशी प्रतिभूति अधिग्रहण करने की अनुमति है अगर वह निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करता हैः-	

	क)	भारत के बाहर कंपनी का निदेशक बनने के लिए योग्यता शेयर बशर्ते शेयर समुद्रपारीय कंपनी की प्रदत्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक न हो और अभिग्रहण के लिए प्रतिफल एक कैलंडर वर्ष में 20,000 अमरीकी डॉलर से अधिक न हो।
	ख)	स्वत्वाधिकार शेयर बशर्ते फिलहाल लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार शेयर धारण करने की हैसियत से अधिकार शेयर जारी किए जा रहे हैं।
	ग)	भारतीय प्रवर्तक कंपनी के विदेश स्थित संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के शेयरों की भारतीय प्रवर्तक कंपनी, जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कार्यरत है, के कर्मचारियों/निदेशकों द्वारा खरीद, जहाँ ऐसे खरीद का प्रतिफल पांच कैलेंडर वर्ष के खंड में 10,000 अमरीकी डालर या इसके समतुल्य से अधिक न हो; इस प्रकार अभिगृहीत शेयर भारत के बाहर संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था की प्रदत्त पूँजी के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए; और ऐसे शेयरों के आबंटन के बाद भारतीय प्रवर्तक कंपनी द्वारा धारित शेयरों का उसके कर्मचारियों को आंबटित शेयरों को मिलाकर प्रतिशत भारतीय प्रवर्तक कंपनी द्वारा ऐसे आबंटन के पहले धारित शेयरों के प्रतिशत से कम न हो।
	घ)	ज्ञान आधारित क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों समेत, निवासी कर्मचारियों द्वारा एडीआर/जीडीआर संबद्ध स्टॉक विकल्प योजना के तहत विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद, बशर्ते पांच कैलेण्डर वर्ष के ब्लॉक में क्रय प्रतिफल 50,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अधिक न हो।

भाग II	
प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए परिचालन संबंधी अनुदेश	
1.	**नामित शाखाएं**
	अधिसूचना के विनियम 6 के उप-विनियम 2 के खंड (v) के अनुसार भारत से बाहर संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में निवेश करनेवाली पात्र भारतीय पार्टी से अपेक्षा है कि वह निवेश से संबंधित सभी लेनदेन उसके द्वारा नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के केवल एक शाखा के माध्यम से करे। भारतीय पार्टी के भारत से बाहर के निवेशों के संबंध मे रिज़र्व बैंक को भेजे जानेवाले सभी पत्राचार प्राधिकृत व्यापारी बैंक के

	उसी शाखा के माध्यम से किए जाएं जिसे निवेश के लिए भारतीय निवेशक ने नामित किया है। अपने ग्राहकों से प्राप्त अनुरोधों को रिज़र्व बैंक भेजते समय प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अनुरोध के साथ अपनी टिप्पणी/ सिफारिश भी भेजें। फिर भी, भारतीय निवेशक/ प्रवर्तक उनके द्वारा भारत से बाहर प्रवर्तित विभिन्न संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के लिए विभिन्न प्राधिकृत व्यापारी बैंकों/ प्राधिकृत व्यापारी बैंकों की विभिन्न शाखाओं को नामित कर सकते हैं।	
2.	**जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी के विनियम 6 के अंतर्गत निवेश**	
	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक किसी संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में निवेश करने के लिए भारतीय पार्टी/ पार्टियों से विधिवत् भरे हुए फार्म ए-2 के साथ फार्म ओडीए में आवेदन पत्र दो प्रतियों में प्राप्त होने पर स्वीकार्य सीमा तक निवेश की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते समय-समय पर यथासंशोधित जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना फेमा सं.120/आरबी 2004 के विनियम 6 में उल्लिखित शर्तों का उन्होंने अनुपालन किया है। वित्तीय सेवाओं में निवेश के लिए पूर्वोक्त विनियम 7 में निर्धारित अतिरिक्त मानदंडों का पालन किया जाए। वित्तीय क्षेत्र में निवेश के संबंध में प्रेषण की रिपोर्ट भेजते समय, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यह प्रमाणित करे कि भारत और विदेश में विनियामक प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। प्रेषण को अनुमति देने से पहले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ओडीए फ़ार्म में निर्धारित आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं और वे ठीक हैं।	
3.	**प्रक्रिया संबंधी सामान्य अनुदेश**	
(1)	जून 01,2007 से समुद्रपारीय निवेश की रिपोर्टिंग प्रणाली को संशोधित किया गया है। पहले के सभी फार्मों को एक फार्म अर्थात् ओडीआइ में शामिल किया गया है जिसके चार भाग हैं :	
	भाग I -	जिसमें निम्नलिखित शामिल है :
	खंड अ -	भारतीय पार्टी के ब्योरे
	खंड आ -	नई परियोजना में निवेश के ब्योरे
	खंड इ -	वर्तमान परियोना में निवेश के ब्योरे
	खंड ई -	संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के लिए निधीयन
	खंड उ -	भारतीय पार्टी द्वारा घोषणा
	खंड ऊ -	भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणपत्र (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा रखा जाए)
	खंड ए-	भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणपत्र प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा रखा जाए)
	भाग II -	प्रेषणों की रिपोर्टिंग
	भाग III	वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट

	-	
	भाग IV -	संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के समापन/ विनिवेश/ स्वैच्छिक परिसमापन/ बंद करने की रिपोर्ट
(2)	यह दुहराया जाता है कि संशोधित फार्म से रिपोर्टिंग प्रक्रिया को केवल कारगर बनाया गया है और वर्तमान पात्रता मानदंडों/ प्रलेखीकरण/ सीमाओं में कोई परिवर्तन अथवा कमी नहीं है। आखिरकार ये रिपोर्ट रिज़र्व बैंक द्वारा ऑन लाइन प्राप्त की जाएगी।	
(3)	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक निम्नवत् कार्रवाई करें :	
	(क)	**स्वत: अनुमोदित मार्ग के मामले में** - फार्म ओडीआइ का भाग I और भाग II मुख्य महाप्रबंधक, भारतीयरिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, समुद्रपारीय निवेश प्रभाग, अमर भवन, पांचवी मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
	(ख)	**अनुमोदन मार्ग के मामले में** - समर्थक दस्तावेजों के साथ ओडीआइ फार्म का भाग I उपर्युक्त पते पर नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक द्वारा जांच के बाद सुस्पष्ट सिफारिश के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है तो रिज़र्व बैंक भाग I प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक को वापस कर देगा। प्रेषण करने के बाद प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक फार्म ओडीआइ के भाग II के साथ उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को पुनः प्रस्तुत करे।
	(ग)	27 मार्च, 2006 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.29 के अनुसार स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत विनिवेश/ बंद करने/ समापन/ स्वैच्छिक परिसमापन के मामले में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक ओडीआइ फार्म के भाग IV में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। विनिवेश के अन्य सभी मामलों में वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, आवश्यक समर्थक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
	(4)	एक से अधिक भारतीय पार्टी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए निवेश के मामले में फ़ार्म ओडीआइ सभी निवेशकर्ता पार्टियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित हो और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक की नामित शाखा में प्रस्तुत की जाए। प्राधिकृत व्यापारी बैंक प्रत्येक पार्टी के ब्योरे देते हुए समेकित ओडीआर फार्म रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें। जहाँ निवेश अधिसूचना के विनियम 6(5) के अनुसार भारतीय पार्टियों के एडीआर/जीडीआर की प्राप्तियों में से किया गया हो वहां भी यही प्रक्रिया अपनायी जाए। समुद्रपारीय परियोजना को रिज़र्व बैंक मात्र एक अनन्य पहचान संख्या आबंटित करेगा।

	(5)	यह सुनिश्चित करने के बाद कि संयुक्त उद्यम/ पूर्णतः स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय पार्टी का ईक्विटी स्टेक है, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक विदेश के संयुक्त उद्यम/पूर्णतः स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं को ऋण के लिए प्रेषण और/अथवा विदेशी संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं को/की ओर से गारंटी जारी करने की अनुमति दे सकते हैं।
4.	**7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी के विनियम 11 के तहत निवेश**	
	विनियम 11 के अनुसार भारतीय पार्टियों को विदेशी संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में निर्यात अथवा अन्य प्राप्यों/हकदारियों जैसे, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क, परामर्श शुल्क आदि के पूंजीकरण के जरिए प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुमति दी जाती है। ऐसे मामलों में भी भारतीय पार्टियों को फार्म ओडीआइ में पूंजीकरण के पूरे ब्योरे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक की नामित शाखा में प्रस्तुत करना है। पूंजीकरण के जरिए ऐसे निवेशों को भी विनियम 6 के अनुसार निर्धारित *400 प्रतिशत* की सीमा की गिनती करते समय गणना में लिया जाएगा। इसके अलावा जहाँ विनियम 11 के उपबंधों के अनुसार निर्यात प्राप्तियों का पूंजीकरण किया जा रहा हो, वहाँ प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को विनियम 12(2) के अधीन अपेक्षित बीजक की सीमाशुल्क प्रमाणित प्रति प्राप्त करना होगा और उसे संशोधित ओडीआइ फार्म के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजना होगा। अतिदेय निर्यात प्राप्तियों अथवा अन्य हकदारियों के पूंजीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति आवश्यक होगी जिसके लिए भारतीय पार्टी ओडीआइ फार्म में एक आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक के पास विचारार्थ प्रस्तुत करे।	
5.	**अनन्य पहचान संख्या का आबंटन**	
	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक से फार्म ओडीआइ प्राप्त होने पर रिज़र्व बैंक प्रत्येक विदेशी संयुक्त उद्यम/पूर्णतः स्वामित्ववाली सहायक संस्था को एक अनन्य पहचान संख्या आबंटित करेगा जिसे रिज़र्व बैंक के साथ किए जाने वाले सभी पत्राचार में उद्धृत करना होगा। **भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समुद्रपारीय परियोजना को आवश्यक पहचान संख्या आबंटित करने के बाद ही प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक विनियम 6 के अनुसार किसी भारतीय पार्टी द्वारा स्थापित वर्तमान विदेशी प्रतिष्ठान में अतिरिक्त निवेश के लिए अनुमति दे सकते हैं।**	
6.	**शेयर स्वैप के रूप में निवेश**	
	शेयर स्वैप के रूप में निवेश के मामले में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को चाहिए कि वे प्राप्त/ आबंटित शेयरों की संख्या, अदा किया गया/ प्राप्त प्रीमियम, अदा किया गया/ प्राप्त दलाली, जैसे लेनदेनों के ब्योरे अतिरिक्त रूप से रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें और इस आशय का पुष्टिकरण दें कि लेनदेनों का आवक चरण एफआइपीबी द्वारा अनुमोदित किया गया है, और कि मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है और कि विदेशी	

	कंपनियों के शेयर भारतीय निवेशक कंपनियों के नाम में जारी/ अंतरित किए गए हैं। प्राधिकृत व्यापारी, श्रेणी I बैंक आवेदकों से इस आशय का वचनपत्र भी प्राप्त करें कि भारतीय कंपनी में अनिवासियों द्वारा इस प्रकार अधिगृहीत शेयरों की भावी बिक्री/ अंतरण समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के प्रावधानों के अनुसार होंगे।
7.	**7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी के विनियम 9 के अंतर्गत निवेश**
	विनियम 9 के अनुसार कुछ मामलों में संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है। रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इस विशेष अनुमोदनों के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक प्रेषणों की अनुमति दे और उक्त प्रेषण की रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, समुद्रपारीय मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, विदेशी निवेश प्रभाग, अमर भवन (पांचवीं मंजिल), मुंबई 400 001 को फार्म ओडीआइ में दें।
8.	**एडीआर /जीडीआर संबद्ध स्टॉक विकल्प योजना के तहत विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद**
	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि जारीकर्ता कंपनी ने सेबी/ सरकार के संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया है, एडीआर/जीडीआर संबद्ध कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर पांच कैलेंडर वर्ष के ब्लॉक में 50,000 अमरीकी डॉलर या इसके समतुल्य राशि तक प्रेषण कर सकते हैं।
9.	**बयाना जमा राशि करने अथवा बोली बॉण्ड गारंटी जारी करने के लिए प्रेषण**
(i)	अधिसूचना के विनियम 14 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक जो विनियम 6 के तहत निवेश के लिए पात्र भारतीय पार्टी द्वारा संपर्क किए जाने पर बयाना रकम जमा (ईएमडी) के लिए विधिवत् भरा हुआ फार्म ए 2 प्राप्त करने के बाद पात्र सीमा तक प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं अथवा बोली लगाने अथवा भारत के बाहर निगमित किसी कंपनी के अभिग्रहण के लिए निविदा प्रक्रिया में सहभागिता हेतु उनकी ओर से बोली बॉण्ड गारंटी जारी कर सकते हैं। बोली जीतने पर, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, विधिवत् भरा हुआ फार्म ए 2 प्राप्त करने के बाद अधिग्रहण मूल्य का प्रेषण कर सकते हैं और ऐसे प्रेषण की रिपोर्ट (बयाना के लिए शुरू में प्रेषित रकम को शामिल करके) फार्म ओडीआइ में मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, समुद्रपारीय प्रभाग, अमर भवन (पांचवीं मंजिल), मुंबई 400 001 को प्रस्तुत करें। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक बयाने की रकम जमा करने हेतु प्रेषण की अनुमति देते समय भारतीय पार्टी को सूचित करें कि यदि वे बोली में सफल न हुए तो यह सुनिश्चित करें कि प्रेषण की राशि समय- समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन और अभ्यर्पण) विनियमावली, 2000 (देखें दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 9/2000-

	आरबी) के अनुसार प्रत्यावर्तित की जाती है।
(ii)	जहाँ कोई भारतीय पार्टी बोली/निविदा में सफल हो जाती है परंतु निवेश न करने का निर्णय करती है तो ऐसे मामले में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक बयाने की रकम जमा करने की दी गई अनुमति/ लागू की गई बोली बाण्ड गारंटी के ब्योरे फार्म ओडीआइ में मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, समुद्रपारीय निवेश प्रभाग, अमर भवन(पांचवीं मंजिल) मुंबई 400 001 को प्रस्तुत करें।
(iii)	जहाँ कोई भारतीय पार्टी बोली में सफल हो जाती है परंतु भारत से बाहर किसी कंपनी के अभिग्रहण के नियम और शर्तें भाग I में दी गई विनियमावली के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं अथवा जिसके लिए उपविनियम (3) के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त किया गया, उससे भिन्न हैं तो भारतीय पार्टी फार्म ओडीआइ प्रस्तुत करके रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करे।
10.	**भारत के बाहर संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के शेयरों की बिक्री के रूप में अंतरण**
	भारतीय पार्टी उपर्युक्त पैरा 3(3)(ग) में दिए गए अनुसार फार्म ओडीआइ के भाग IV में विनिवेश के 30 दिनों के अंदर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के माध्यम से विनिवेश के ब्योरे रिपोर्ट करें। शेयरों/ प्रतिभूतियों से प्राप्त बिक्री आय को प्राप्ति के बाद अविलंब भारत प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा तथा किसी भी स्थिति में शेयरों/ प्रतिभूतियों की बिक्री की तारीख से 90 दिनों के अंदर।
11.	शेयर प्रमाणपत्र /निवेश के सबूत के तौर पर अन्य कोई दस्तावेज जहां पर शेयर प्रमाणपत्र जारी नही किये जाते हों , इसके बाद से , प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को प्रस्तुत किये जायें और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा अपने पास रखे जायें जिसे ऐसे निवेशों की प्राप्ति पर निगरानी रखने तथा उसे अपनी संतुष्टि के लिए कि इस प्रकार प्राप्त दस्तावेज सही और वास्तविक हैं ,अपेक्षित होंगे । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट(एपीआर) [फॉर्मओडीआई का भाग III] के साथ भारतीय रिजर्व बैंक को इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाये ।

अनुबंध -अ

फार्म ओडीआइ

भाग I

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

प्राप्ति की तारीख. . . . .

आवक सं. . . . .

खण्ड अ : भारतीय पार्टी के ब्योरे

(i) स्वतः अनुमोदित मार्ग (ii) अनुमोद मार्ग के अंतर्ग

(अगर एक से ज्यादा भारतीय पार्टी हो तो प्रत्ये ़ पार्टी के लिए अलग शीट पर सूचना दी जाए)

(II) भारतीय पार्टी का नाम

(III) भारतीय पार्टी का पता

शहर

(IV) संपर्की पदनाम

टेलीफोन सं. फैक्स

(V) भारतीय पार्टी का हैसियत :(कृपया योग्य श्रेणी पर टिक लगाएं)

(1) पब्लिक लिमिटेड कंपनी [ ] (2) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी [ ]

(3) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम [ ] (4) पंजीकृत भागीदारी [ ]

(5) स्वामित्व [ ] (6) अपंजीकृत भागीदारी [ ]

(7) ट्रस्ट [ ] (8) सोसायटी [ ]

(9) अन्य [ ]

(VI) भारतीय पार्टी का कार्यकलाप कूट* [ ]
*3-डिजिट स्तर पर एनआइसी कूट

[अगर भारतीय पार्टी वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत हो अथवा स्वामित्व, गैर-पंजीकृत भागीदारी अथवा वित्तीय क्षेत्र श्रेणी में आता हो तो नीचे मद VII में ब्योरे दिए जाएं ।]

(VII) भारतीय पार्टी के पिछले 3 वर्ष के वित्तीय ब्योरे

(रु.000 में राशि)

ब्योरे	वर्ष 1 31-3-	वर्ष 2 31-3-	वर्ष 3 31-3-
विदेशी मुद्रा अर्जन (संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था को ईक्विटी निर्यात से इतर)			
निवल लाभ			
प्रदत्त पूंजी			
(क) भारतीय पार्टी			
(ख) कंपनी समूह@का निवल मालियत			

@ 7 जुलाई , 2004 की अधिसूचना सं.फेमा 120/आरबी-2004 के विनियम 6(3) के स्पष्टीकरण के अनुसार

(VIII)भारतीय पार्टी और उसके समूह के कंपनियों के मौजूदा संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाएं,जो पहले से परिचालन में हैं अथवा कार्यान्वित हो रहे हैं, के ब्योरे :

क्रमांक	**भारतीय पार्टी का नाम**	**रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित विशिष्ट पहचान सं.**
1.		
2.		
3.		

(IX) क्या प्रस्तावित निवेश (योग्य बॉक्स में टिक लगाएं)

(क) नयी परियोजना है ☐ (कृपया खण्ड आ में ब्योरे दें)

(ख) वर्तमान परियोजना है* ☐ (कृपया खण्ड इ में ब्योरे दें)

*भारतीय पार्टी द्वारा प्रवर्तित मौजूदा समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में स्टेक का अधिग्रहण

खण्ड आ : नयी परियोजना में निवेश के ब्योरे

केवल रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए विशिष्ट पहचान सं.												

(I) निवेश का प्रयोजन (कृपया योग्य श्रेणी में टिक लगाएं)

(क) संयुक्त उद्यम में भागीदारी ☐ (ख) पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में अंशदान ☐

(ग) विदेशी कंपनी का पूर्ण अधिग्रहण ☐

(घ) विदेशी कंपनी का आंशिक अधिग्रहण ☐

(ङ) अनिगमित कंपनी में निवेश ☐

(च) अन्य ☐

(II) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के ब्योरे

(क) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का नाम ____

(ख)संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का पता ____

(ग) देश का नाम ____

(घ) ई-मेल
(ङ) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था का लेखा वर्ष
(III) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था का कार्यकलाप कूट
(IV) क्या संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था एसपीवी है? (हां/नहीं) *
अगर हां, तो खण्ड ई में ब्योरे दें
प्रस्तावित पूंजी संरचना

	[क] भारतीय पार्टी/पार्टियां	% स्टेक		[ख] विदेशी भागीदार	% स्टेक
(1)			(1)		
(2)			(2)		
(3)			(3)		

खण्ड इ : मौजूदा परियोजना में निवेश के ब्योरे

केवल रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए **विशिष्ट पहचान सं.**												

(I) अनुपूरक निवेश का प्रयोजन (योग्य श्रेणी पर टिक करें)
(क) मौजूदा समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में ईक्विटी में वृ
(ख) अधिमान ईक्विटी/परिवर्तनीय ऋण में वृद्धि
(ग) मौजूदा संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में ऋण मंजूरी/वृद्धि
(घ) गारंटियों का विस्तार/ वृद्धि
(ङ) अनिगमित कंपनी को प्रेषण
(च) अन्य

(II) पूंजी संरचना

	[क] भारतीय पार्टी/पार्टियां	% स्टेक		[ख] विदेशी भागीदार	% स्टेक

(1)			(1)		
(2)			(2)		
(3)			(3)		

भाग ई - संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के लिए वित्तपोषण

(राशि एफसीवाय 000 में)

I समुद्रपारीय अधिग्रहण का पूर्ण मूल्य

II भारतीय पाटी के लिए समुद्रपारीय अधिग्रहण की आनुमानिक कीमत

III वित्तीय प्रतिबद्धता* (लागू एफसीवाय में): एफवायसी राशि

IV भारतीय पार्टी द्वारा निवेश की पद्धति

(i) नकदी प्रेषण

(क) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा

(ख) बाज़ार खरीद

(ii) निम्नलिखित का पूंजीकरण

(क) संयंत्र और मशीनरी का निर्यात

(ख) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

(iii) एडीआर/जीडीआर (समुद्रपार में उगाही गई)

(iv) बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड

(v) शेयरों का स्वैप

(vi) अन्य (कृपया उल्लेख करें)

कुल अ [भारतीय पार्टी]

V. क्या संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था एसपीवी है (हां/नहीं)

(क) अगर हां, तो एसपीवी का प्रयोजन

i) समुद्रपारीय अधिग्रहण का पूर्ण मूल्य

ii) एसपीवी द्वारा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष इन्फ्यूशन

iii) भारतीय पार्टी से गारंटी/ प्रति गारंटी के साथ समुद्रपार में उगाही निधियां

iv) भारतीय पार्टी से गारंटी/ प्रति गारंटी के बिना समुद्रपार में उगाही निधियां

v) विदेशी निवेशकों द्वारा ईक्विटी/अधिमान ईक्विटी/ शेयरधारक के ऋण के रूप में अंशदान की गई निधियां

vi) प्रतिभूतिकरण (सेक्यूरिटाइसेशन)

vii) अन्य किसी रूप में (कृपया उल्लेख करें)

कुल

VI. गारंटियां/अन्य गैर-निधि आधारित प्रतिबद्धताएं

टिप्पणी* : जुलाई 7, 2004 की फेमा 120/आरबी-2004 खण्ड 2(च) में यथापरिभाषित वित्तीय प्रतिबद्धता - वित्तीय प्रतिबद्धता का अर्थ ईक्विटी, ऋण के रूप में प्रत्यक्ष निवेश की राशि और भारतीय पार्टी द्वारा अपने समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम कंपनी अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी को अथवा उनकी ओर से जारी गारंटी राशि का 100 प्रतिशत।

भाग उ : भारतीय पार्टी द्वारा घोषणा

I (क) क्या आवेदक पार्टी(पार्टियां), उसके प्रवर्तक, निदेशक, आदि किसी जांच/ प्रवर्तन एजेंसी अथवा विनियामक निकाय द्वारा जांच के अधीन है? अगर हां, तो छानबीन अधिनिर्णय के वर्तमान चरण/ मामले के निपटान का ढंग सहित उसके संक्षिप्त ब्योरे।

___

___

(ख) क्या प्रवर्तक भारतीय पार्टी(पार्टियां) वर्तमान में निर्यात प्राप्यों की वसूली न होने की वजह से रिज़र्व बैंक की निर्यातकों की सतर्कता सूची में है अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित बैंकिंग प्रणाली के चूककर्ताओं की सूची में है/हैं? अगर हां, तो भारतीय पार्टी(पार्टियों) की हैसियत:

___

___

(ग) प्रस्तावित कंपनी को स्थापित/अधिगृहीत करने के लिए मेज़बान देश में उपलब्ध कोई विशेष लाभ/ प्रोत्साहन सहित इस प्रस्ताव से संबधित कोई अन्य सूचना।

___

___

मैं/हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है।

स्थान :------------------

\- (प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

मुहर/मुद्रा

दिनांकः ----------------

नाम :------------------
--
पदनाम :---------------

संलग्नकों की सूची :

1.	4.
2.	5.
3.	6.

खण्ड ऊ : भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखाकार का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि समय-समय पर यथासंशोधित 7 जुलाई , 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004 (विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004) में निहित शर्तों का रिपोर्ट किए जा रहे निवेश के संबंध में भारतीय पार्टी ने अनुपालन किया है। विशेष रूप से यह प्रमाणित किया जाता है कि :

(i) निवेश स्थावर संपदा उन्मुख अथवा बैंकिंग कारोबार में नहीं है, और

(ii) पहले किए गए समुद्रपारीय निवेश और निर्यात और पूंजीकृत अन्य देय/ शेयरों का स्वैप/ स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत विदेश में निवेश के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेष के साथ निवेश के प्रेषण के लिए प्रस्तावित विदेशी मुद्रा खरीद की राशि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित सीमाओं के अधीन है। इसकी अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख अर्थात् . . . . . को भारतीय पार्टी की निवल मालियत के संदर्भ में सत्यापन किया गया है।

(iii) निवेश के लिए निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन किया गया है।

(iv) बाह्य वाणिज्यिक उधार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(v) भारतीय पार्टी ने (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सेवा कार्यकलाप से निवल लाभ प्राप्त किए हैं, (ख) भारत के विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के विवेकपूर्ण मानदण्डों को पूरा किया है, (ग) वित्तीय सेवा कार्यकलाप करने के लिए भारत में उपर्युक्त विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकरण किया गया है और (घ) भारत और विदेश में संबंधित

विनियामक प्राधिकरणों से वित्तीय सेवा क्षेत्र कार्यकलापों में निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है*।

टिप्पणी : *केवल वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश के मामलों में लागू (उदा. बीमा, म्यूचुअल फण्ड, परिसंपत्ति प्रबंधन, आदि)

बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेषों के माध्यम से निवेश के निधीयन के मामलों में लागू।

(कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर)

फर्म का नाम, मुहर और पंजीकरण सं.

* * * * * * * * *

भाग II

विप्रेषणों की रिपोर्टिंग

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

प्राप्ति की तारीख ---------

आवक सं. ---------

वर्तमान संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में निवेश के मामले में कृपया पहले से आबंटित विशिष्ट पहचान सं. लिखें :													
नंबर													

(I) भारतीय कंपनी का नाम

(II) क्या, पिछले रिपोर्टिंग के बाद कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन हुआ है? (हां/नहीं)

अगर हां, तो कंपनी का पुराना नाम

किए गए वर्तमान विप्रेषणों के ब्योरे

(राशि एफसीवाय के 000 में)

रिपोर्टिंग प्राधिकृत व्यापारी का कोड		विदेशी मुद्रा**	
(क) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते से			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	विप्रेषण की तारीख

(ख) बाज़ार खरीद द्वारा			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	विप्रेषण की तारीख
(ग) एडीआर/जीडीआर निधियों से			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	विप्रेषण की तारीख
(घ) शेयरों के स्वैप द्वारा			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	स्वैप की तारीख
		XXXX	
(ङ) भारत में/भारत के बाहर रखे गए बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेषों से			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	लेनदेन की तारीख
(च) निर्यात/अन्य प्राप्यों का पूंजीकरण@			
पूंजीकरण की तारीख:		राशि :	
(छ) जारी की गई गारंटी : दिनांक (नया/विस्तारित वर्तमान गारंटी अवधि)		राशि :	
वैधता अवधि			

टिप्पणी : ** कृपया एसडब्ल्यूआइएफटी कोड के अनुसार विदेशी मुद्रा का नाम दर्शाएं।
@ कृपया पूंजीकृत किए जा रहे अन्य प्राप्यों अर्थात् रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क, परामर्शी शुल्क, आदि का उल्लेख करें।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि विप्रेषण
(जो लागू न हो उसे काट दें)

i) निर्धारित शर्तों की भारतीय पार्टी द्वारा अनुपालन की पुष्टि करते हुए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के आधार पर स्वत: अनुमोदित मार्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है;

ii) रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुमोदन पत्र के शर्तों के अनुसार है; तथा

iii) इस बात से संतुष्ट होने के कि दावा, विदेश में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी को/की ओर से जारी गारंटी के शर्तों के अनुपालन में है, इन्वोक्ड गारंटी विप्रेषण के संबंध में विप्रेषण किया गया है।

स्थान

दिनांकः

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

टेलीफोन सं. :

फैक्स सं. :

मुहर/मुद्रा

वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (एपीआर)

(जब तक संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था अस्तित्व में है, प्रति वर्ष संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के वार्षिक लेखाबंदी के तीन महीने के अंदर सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित कराके नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के माध्यम से प्रेषित किया जाए)

I. वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) की तारीख : ____________________

II. विशिष्ट पहचान सं. :

(कृपया भारिबैंक द्वारा जारी 13 अंकोंवाली विशिष्ट पहचान संख्या लिखें)

III. पिछले रिपोर्ट के बाद पूंजी संरचना में परिवर्तन

	राशि (नयी)	प्रतिशत शेयर (नया)
भारतीय		
विदेशी		

IV. पिछले दो वर्षों के लिए संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के परिचालनात्मक ब्योरे

(राशि 000 विदेशी मुद्रा में)

	पिछला वर्ष	चालू वर्ष
i) निवल लाभ/ (हानि)		
ii) लाभांश		
iii) निवल मालियन		

V. संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था से प्रत्यावर्तन

संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थां से विदेशी मुद्रा अर्जन

	.. .. को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान	कारोबार की शुरुवात से
(i) लाभ		
(ii) लाभांश		
(iii) प्रतिधारित अर्जन*		
(iv) भारत में निवेश		
(v) अन्य**(कृपया उल्लेख करें)		

* (संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के लाभ के अंश जो प्रतिधारित हैं और जिनका संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में पुनः निवेश किया गया है, को दर्शाता है)

**(रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क, परामर्शी शुल्क, आदि)

VI. पिछले रिपोर्टिंग से स्टेप डाउन सहायक कंपनियों में निवेश

देश	
संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था का नाम	
निवेश की राशि	

स्थान : _______________
दिनांक: _______________

(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

मुहर/सील

नाम : ______________________

पदनाम : ___________________

(कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर)

फर्म का नाम, मुहर और पंजीकरण सं.

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर :

नाम :
पदनाम :

भाग IV

संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के बंद होने/ विनिवेश/ स्वैच्छिक परिसमापन/ समापन पर रिपोर्ट

(नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा प्रेषित किया जाए)

(सभी राशि विदेशी मुद्रा में, हज़ारों में)

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का नाम और पता : ______________________________

प्राधिकृत व्यापारी कूट : ______________________

रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित अनन्य पहचान संख्या

क्या वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है? | हां | नहीं |

पिछले वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट से संबद्ध अवधि और प्रस्तुति की तारीख : ____________

निवेश के ब्योरे

ईक्विटी	ऋण	जारी की गई गारंटियां

विप्रेषण के ब्योरे

ईक्विटी	ऋण	मांगी गई गारंटियां

पिछले वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट के बाद पूंजी संरचना में परिवर्तन

ईक्विटी	ऋण	जारी की गई गारंटियां

विनिवेश पर प्रत्यावर्तित राशि

ईक्विटी	ऋण

यह प्रमाणित किया जाता है कि (जो लागू न हो उसे काट दें)

I.(क) बिक्री ऐसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की गई है जहां समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के शेयर सूचीबद्ध हैं;

(ख) अगर शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध न हो और शेयरों का विनिवेश निजी व्यवस्था द्वारा किया गया हो, तो शेयर की कीमत, सनदी लेखाकार/ प्रमाणित सामाजिक लेखाकार द्वारा संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था की आखिरी लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित शेयरों का प्रमाणित उचित मूल्य से कम न हो;

(ग) भारतीय पार्टी का संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था से लाभांश, तकनीकी जानकारी फी, रॉयल्टी, परामर्श सेवा, कमीशन अथवा अन्य पात्रताओं और/अथवा निर्यात प्राप्तियों के तौर पर कोई बकाया देय न हो;

(घ) समुद्रपारीय संस्था कम-से-कम एक वर्ष के लिए परिचालित है और उस वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे के साथ वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई है;

(ङ) भारतीय पार्टी केन्द्रीय जांच ब्यूरो/प्रवर्तन निदेशालय/सेबी/बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अथवा भारत में किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा जांच के अधीन नहीं है।

स्थान :

दिनांक : (बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

टेलीफोन सं. :

फैक्स सं. :

मुहर/मुद्रा

फार्म ओडीआइ भरने के लिए अनुदेश

(इस भाग को अलग कर आवेदक अपने पास रखे)

फार्मों का यह सेट भारतीय पार्टियों द्वारा विदेशी निवेश से संबंधित बुनियादी सूचनाओं एक स्थान पर इकट्ठा करने का प्रयास है (समय-समय पर यथासंशोधित जुलाई 7,2004 की अधिसूचना फेमा सं.120/आरबी -2004 के तहत परिभाषित)।

भाग I में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं,भारतीय पार्टियों और समुद्रपारीय कंपनियों की वित्तपोषण प्रणाली के ब्योरे शामिल है।
भाग II में प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणित प्रेषणों की रिपोर्टिंग है।
भाग III वार्षिक कार्य निष्पादन है, जिसमें समुद्रपारीय कंपनियों के कार्य निष्पादन के संक्षिप्त ब्योरे दिए गए हैं और ,
भाग IV का उपयोग विनिवेश/परिसमसपन/समापन के समय किया जाता है।

भाग I का खंड ई विवेचनात्मक है क्योंकि यहां स्वामित्व के स्वारूप और वित्तीय पद्धति के संबंध में सूचनाओं को शामिल किया गया है । भारत से प्रेषण के ब्योरें के अतिरिक्त, भाग I एसपी वी /विदेश के अनुषंगियों , विदेशी साझीदारों के शेयरों ,आदि के माध्यम से निधीयन के पूर्ण ब्योरे भाग I में अवश्य रिपोर्ट किए जाएं।

(1) स्वत:अनुमोदित मार्ग अथवा अनुमोदन मार्ग के तहत संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में निवेश की इच्छुक भारतीय पार्टियां फार्म का भाग I भरे और नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को प्रस्तुत करे। जब कभी , प्रारंभिक प्रेषण/ अनुमोदन के समय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए गए संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के प्रारंभिक पूंजी अथवा वित्तीय संरचना में विस्तार,विलियन, अतिरिक्त पूंजी की वृद्धि,आदि के रूप में परिवर्तन होता है तो, भाग I (खंड इ और ई) भरना आवश्क है।

(2) स्वत:अनुमोदित मार्ग के तहत ,नए प्रस्तावों के मामलों में,प्रेषण के तत्काल बाद ,नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक भाग II के साथ फार्म का भाग I अनन्य पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक , भारतीय रिज़र्व बैंक ,विदेशी मुद्रा विभाग , केंद्रीय कार्यालय ,समुद्रपारीय निवेश प्रभाग,(ओआइडी),अमर बिल्डिंग,मुंबई को भेजे।

(3) अनुमोदन मार्ग के तहत, जांच के बाद, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अपने सिफारिशों के साथ फार्म का भाग I उपर्युक्त पते पर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करे। यदि अनुमोदित हो तो, फार्म का भाग I प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को लौटा दिया जाएगा जिसे प्रेषण के तत्काल बाद फार्म के भाग II के साथ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक उपर्युक्त पते पर रिज़र्व बैंक को पुन:प्रस्तुत करे।

(4) अनुपूरक प्रेषणों के मामलों में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक पूर्ण रूप से भरा हुआ फार्म का केवल भाग II रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करे। फिर भी, प्रारंभिक निवेश के समय किए गए रिपोर्टिंग के के बाद , यदि संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के प्रारंभिक पूंजी अथवा वित्तीय

संरचना ,आदि में परिवर्तन हुआ है तो फार्म के भाग II (खंड़ अ और आ को छोड़कर) के साथ भाग I (खंड़ अ और आ को छोड़कर) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(5) एक ही संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में एक से अधिक भारती प्रर्वतकों के निवेश के मामले में,संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के लिए , प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक एकल फार्मेट में, प्रत्येक ऐसे प्रवर्तक के ब्योरे प्रस्तुत करे।

(6) जब तक संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था अस्तित्व में है तबतक प्रत्येक वर्ष संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के वार्षिक लेखाबंदी के 3 माह के अंदर नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के माध्यम से वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट
(एपीआर) (भाग III) में प्रस्तुत की जाए।

(7) विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपए की सारी राशियां **केवल हजार में होनी चाहिए** ।

(8) जब संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था का बंद /समापन/ विनिवेश/परिसमापन आदि होता है तो ,विनिवेश के 30 दिनों के अंदर इसकी सूचना उपर्युक्त पते पर रिज़र्व बैंक को दी जाए।

(9) रिज़र्व बैंक के पास सूचना को पब्लिक डोमेन में डालने का अधिकार सुरक्षित है।

रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किए जाने के लिए , भाग I के साथ निम्मलिखित दस्वावेज़ों की आवश्यकता है-

(क) सील बंद/बंद कवर में भारतीय पार्टी के बैंकरों से प्राप्त एक रिपोर्ट;

(ख) निदेशकों की रिपोर्ट के साथ भारतीय पार्टी का वार्षिक लेखा अर्थात् तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखा;

(ग) यदि वर्तमान विदेशी कंपनी के आंशिक /पूर्णत: टेकओवर के लिए आवेदन है तो,निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाएं-

(i) विदेशी कंपनी के निगमन के प्रमाणपत्र की प्रति ;

(ii) निदेशकों की रिपोर्ट के साथ भारतीय पार्टी का वार्षिक लेखा अर्थात् तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखा; और

(iii) निम्नलिखित से प्राप्त शेयर मूल्यांकन की एक प्रति:

- सेबी के पास पंजीकृत एक श्रैणी I मर्चेंट बैंकर अथवा मेज़बान देश में उचित प्राधिकरण के पास पंजीकृत एक निवेशक बैंकर/ मर्चेंट बैंकर ,जहां निवेश 5 मिलियन अमरीकी डालर (पांच मिलियन अमरीकी डालर) से अधिक है:
- अन्य सभी मामलों में,एक सनदी लेखाकार अथवा एक प्रमाणित लोक लेखाकार ;

(घ) प्रस्तावित निवेश को अनुमोदित करनेवाला भारतीय पार्टी/ पार्टियों के निदेशक मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति।

(ड.) जहां निवेश वित्तीय सेवा क्षेत्र में है तो, सांविधिक लेखापरीक्षक / सनदी लेखाकार से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र कि भारतीय पार्टी :

(i) ने वित्तीय सेवा क्षेत्र से पिछले तीन वर्षों के दौरान निवल लाभ अर्जित किया है ;

(ii) वित्तीय सेवा कार्यकलाप के लिए भारत में उचित विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत है;

(iii) भारत और विदेश स्थित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से विदेश में वित्तीय सेवा कार्यकलाप में निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है;

(iv) भारत में संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों का पूरा किया है ।

समुद्रपारीय निवेश-स्वामित्ववाले प्रतिष्ठान/गैर पंजीकृत साझेदारी फर्म

पात्र स्वामित्ववाले प्रतिष्ठान/गैर पंजीकृत साझेदारी फर्म ,27 मई ,2006 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.29 के पैरा 4 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के माध्यम से उनकी सिफारिश के साथ ओडीआइ फार्म के भाग I में मुख्य महाप्रबंधक,भारतीय रिज़र्व बैंक,विदेशी मुद्रा विभाग,समुद्रपारीय निवेश प्रभाग,केंद्रीय कार्यालय,अमर बिल्डिंग,फोर्ट, मुंबई 400001 को आवेदन करें।

****

अनुबंध-आ

कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना की रिपोर्टिंग

_______________मार्च को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी स्टाक विकप योजना के तहत भारतीय कर्मचारियों/निदेशकों को आबंटित शेयरों का विवरण (कंपनी के प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाए)

हम, मेसर्स . . . . (भारतीय कंपनी) इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि :

क)मेसर्स . . . . (विदेशी कंपनी) ने निम्नानुसार वर्ष के दौरान कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना के तहत हमारे कर्मचारियों को . . . . . . शेयर जारी किए हैं

(i) आबंटित शेयरों की संख्या :

(ii) कर्मचारियों/ निदेशकों की संख्या जिन्होंने शेयर स्वीकार किया है:

(iii) भेजी गई राशि :

ख) मार्च 31, _____________ के अनुसार भारतीय कंपनी में विदेशी कंपनी मेसर्स . . . . की प्रभावी धारिता 51% से कम नहीं है और

ग) मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई सूचना सत्य और सही है।

प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
दिनांक :

सेवा में-
मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
समुद्रपारीय निवेश प्रभाग
केन्द्रीय कार्यालय, अमर भवन, पांचवीं मंजिल

सर पी.एम. रोड, फोर्ट,
मुंबई 400 001.

अनुबंध-इ

---- मार्च --------------------------------को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी स्टाक विकल्प योजनाओं के तहत भारतीय कर्मचारियों/ निदेशकों से जारीकर्ता कंपनी द्वारा पुनः खरीदे गए शेयरों का विवरण

(उनके प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से कंपनी के लेटरहैड पर प्रस्तुत किया जाए)

हम, मेसर्स . . . .(भारतीय कंपनी) इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि :

क) मेसर्स . . . . (विदेशी कंपनी) ने वर्ष के दौरान कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना के तहत हमारे कर्मचारियों को जारी _______________ शेयरों की पुनः खरीद की है,

(i) आबंटित शेयरों की संख्या :
(ii) कर्मचारियों/ निदेशकों की संख्या जिन्होंने शेयर बेचे हैं :
(iii) प्रेषण की राशि (आवक) :

ख) मार्च 31, ___________ के अनुसार भारतीय कंपनी में विदेशी कंपनी मेसर्स . . . . की प्रभावी धारिता 51% से कम न हो और
ग) मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई सूचना सत्य और सही है।

प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
दिनांक :

सेवा में-
मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
समुद्रपारीय निवेश प्रभाग
केन्द्रीय कार्यालय, अमर भवन, पांचवीं मंजिल

सर पी.एम. रोड, फोर्ट,
मुंबई 400 001.

परिशिष्ट

मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों/ अधिसूचनाओं की सूची
विदेश में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में प्रत्यक्ष निवेश

अधिसूचनाएं

क्रम सं.	**अधिसूचना सं.**	**दिनांक**
1	फेमा 120/आरबी-2004	07 जुलाई, 2004
2	फेमा 132/आरबी-2005	31 मार्च , 2005
3	फेमा 135/आरबी-2005	मई 17, 2005
4	फेमा 139/आरबी-2005	अगस्त 11, 2005
5	फेमा 150/आरबी-2006	अगस्त 21, 2006
6	फेमा 164/आरबी-2007	अक्तूबर 9,2007
7.	फेमा 180/आरबी-2008	5 सितंबर 2008
8.	फेमा 181/आरबी-2008	01अक्तूबर,2008

परिपत्र

क्रम सं.	परिपत्र सं.	दिनांक
1	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.14	अक्तूबर 01, 2004
2	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.32	फरवरी 09, 2005
3	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.42	मई 12, 2005
4	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.9	अगस्त 29, 2005
5	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.29	मार्च 27, 2006
6	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.30	अप्रैल 05, 2006
7	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.3	जुलाई 03, 2006

8	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.6	सितंबर 06, 2006
9	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	नवंबर 16, 2006
10	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.41	अप्रैल 20, 2007
11	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.49	अप्रैल 30, 2007
12	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.50	मई 04, 2007
13	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.53	मई 08, 2007
14	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.68	जून 01, 2007
15	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.72	जून 08, 2007
16	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.75	जून 14, 2007
17	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.76	जून 19, 2007
18	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	सितंबर 26, 2007
19	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.12	सितंबर 26, 2007
20	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.34	अप्रैल 03, 2008
21	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.48	जून 03, 2008
22	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.53	जून 27, 2008
23	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.07	13 अगस्त , 2008
24	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.14	05 सितंबर , 2008